क्रम-संख्या–260

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2019

पौष 3, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2239/79-वि-1-19-1(क)-19-19

लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे श्रम अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित हैं, पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2019)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 4-ग का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में, धारा 4-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता

"4-ग-धारा 4-ख के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस अवधि तक के लिये विधिमान्य होगा जिस अवधि तक के लिये दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विद्यमान हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, कारखानों तथा नियोजन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की शर्तों का विनियमन करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण हेतु भी उपबंध है।

उक्त अधिनियम की धारा 4-ग में यह उपबन्ध है कि धारा 4-ख के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यथा विहित अवधि तक के लिये विधिमान्य होगा और उस निमित्त आवेदन किये जाने पर तथा विहित शुल्क का भुगतान किये जाने पर मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा विहित रूप में अग्रतर अवधि के लिए समय-समय पर नवीकरण किये जाने योग्य होगा। व्यापारिक संगठनों द्वारा दुकानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के उपबन्धों को समाप्त किये जाने की मांग की जाती रही है। भारत सरकार ने भी दुकानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की आवश्यकता को समाप्त किये जाने की संस्तुति की है। उक्त संगठनों की मांग तथा भारत सरकार की संस्तुति पर विचार किये जाने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि दुकानों तथा वाणिज्यिक अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4-ग में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

No. 2239/(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-19-19
Dated Lucknow, December 24, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2019.The Shram Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam,

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019
(U.P. ACT NO. 18 OF 2019)
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)
AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962, for section 4-C, the following section shall be *substituted,* namely :- Amendment of section 4-C of U.P. Act no. xxvi of 1962

"4-c-The registration certificate granted under section 4-B shall be valid for the duration for which the shop and commercial establishment is in existence." Validity of registration certificate

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962 has been enacted to provide for regulation of conditions of works and employment shops and commercial establishments. There is also provision for compulsory registration of shops and commercial establishment, under the said Act.

Section 4-C of the said Act provides that the registration certificate granted under section 4-B shall be valid for such period as may be prescribed, and shall on an application being made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewable from time to time by the Chief Inspector for such further period as may be prescribed. The trader associations have been demanding for the elimination of the provisions of renewal of registration of shops. The Government of India has also recommended for the elimination of the requirement of renewal of registrations of the shops. After considering the demand of the said associations and the recommendation of the Government of India. it has been decided to amend section 4-C of the said Act to eliminate the requirement of the renewal of the registration of shops and commercial establishment.

The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan (Sanshodhan) Vidheyak, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 483 राजपत्र–2019–(1226)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 104 सा0 विधायी–2019–(1227)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।